सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57 / 2023

अपीलांटगण–	**बनाम**	रेस्पोडेंट्स –
1. नेनाराम पुत्र सोनाराम		1 सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।
2. अमराराम पुत्र सोनाराम		2 धनाराम पुत्र तेजाराम
3. खरथाराम पुत्र सोनाराम		3 नेनूदेवी पत्नी तेजाराम
4. डालूराम पुत्र सोनाराम		4 कालूराम पुत्र भीयाराम
5. रूपो पत्नी सोनाराम जातियान मेघवाल, निवासीयान धन्ने की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		5 देवाराम पुत्र भीयाराम
		6 भवराराम पुत्र भीयाराम
		7 रामाराम पुत्र भीयाराम
		8 हरखुदेवी पत्नी भीयाराम
		9 रेखाराम पुत्र राणाराम
		10 चुनाराम पुत्र पुत्र राणाराम
		11 गोमाराम पुत्र राणाराम
		12 दलुदेवी पुत्र राणाराम
		13 रामाराम पुत्र चेनाराम
		14 हराराम पुत्र मोटाराम
		15 रूपाराम पुत्र मोटाराम
		16 नेनूदेवी पत्नी मोटाराम
		17 रामाराम पुत्र पुराराम
		18 भोमाराम पुत्र पुराराम
		19 गोधुराम पुत्र पुराराम
		20 जोगाराम पुत्र पुराराम
		21 हेमीदेवी पत्नी पुराराम
		22 मेघाराम पुत्र सुखाराम
		23 मदाराम पुत्र सुखाराम
		24 वालाराम पुत्र सुखाराम
		25 पुरोदेवी पत्नी सुखाराम जातियान मेघवाल, निवासीयान धने की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

26 बबरी देवी पत्नी मगाराम जाति मेघवाल, निवासी शिवकर, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/लो.अ./2016/462 दिनांक 09.06.2016 जो राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के दौरान नायब तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगाराम पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री डुंगरसिंह नामा, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 2 ता 5, 8 व 26 की ओर से उपस्थित एवं दीगर रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.07.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/लो.अ./2016/462 दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.05.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 84, 85, 88, 173 रकबा 00.07, 21.14, 28.15, 51.11 बीघा व मौजा गोसाई नगर, पटवार मण्डल कमठाई के खसरा संख्या 63, 111, 113 रकबा 88.16, 32.12, 64.03 के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 में उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/लो.अ/2016/462 दिनांक 09.06.2016 पारित किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि उक्त खसरान मौजा धने की ढाणी व गोसाई नगर, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त में खातेदारी हिस्सा 1/4 अपीलांटगण का व शेष हिस्सा 1/4 रेस्पोडेंटगण संख्या 2 से 25 का है। उक्त विवादित भूमि का विभाजन लोक अदालत न्याय आपके द्वार के अभियान वर्ष 2016 में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के कहने पर संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाया अपीलांटगण ने पटवारी के आश्वासन पर सहमति प्रकट कर दी तथा पटवारी ने अपने स्तर से आवेदन तैयार कर उस पर अपीलांटगण का निशान अंगुष्ट करा दिया तथा यह बताया कि नक्शो में रंग मौके की पैमाईश करने पर अंकित किया जायेगा। उक्त विभाजन का आदेश कब पारित हुआ तथा राजस्व रेकर्ड में कब अंकन हुआ इसकी अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं है। मौजा धने की ढाणी का खेत खसरा संख्या 84, 85, 88 को संपूर्ण रूप से चीमाराम के परिवार को दिया गया है और उक्त खसरे में अपीलांट को किसी प्रकार से हिस्सा नहीं दिया है। जबकि उक्त खसरे में अपीलांट का रहवासी मकान व कब्जा काश्त है। इस अपीलाधीन विभाजन आदेश से खसरा संख्या 84, 85, 88 में पूर्ण रूप से ही अपीलांट को वंचित कर दिया। अपीलांट की आवासी ढाणी जो वर्षो से बनी हुई है। अपीलांट की ढाणी रेस्पोडेंटगण के हिस्से में देकर भारी भूल की है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्गण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मौजा गोसाई नगर के खसरा संख्या 63 को सभी पक्षकारान को रास्ता की सुविधा नही देकर रास्ते से वंचित किया गया है, जबकि मौके पर रास्ता चलता है। रेस्पोडेंटगण संख्या 2 व 3 ने पहले उक्त विवादित खसरों का गलत रूप से बटवारा करवाया गया और बाद में मौजा गोसाई नगर के नवीन खसरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 113/1 का सम्पुर्ण हिस्सा अजनबी पक्षकार को बैचान कर दिया गया है। जबकि उक्त खसरे में रेस्वोंडेंट संख्या 2 व 3 को अपने वास्तवकि हिस्से में 16 बीघा भूमि आती है, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने 19.07 बीघा का बैचान किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अपीलांट की अशिक्षा तथा वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठाकर राजस्व कर्मचारियों को प्रभावित कर एक पक्षीय विभाजन आदेश पारित कराया गया। उक्त विवादित विभाजन का पूर्ण रूप से जानकारी नही थी। अपीलांट को सप्ताह भर पहले रेस्पोडेंटगण द्वारा जब ढाणी हटाने का अपीलांट को कहा तथा इस पर विभाजन आदेश की नकल प्राप्त दिनांक 20.05.2023 को प्राप्त की तब उक्त आलोच्य विभाजन का ज्ञान हुआ। अपीलाधीन आदेश उससे पूर्व किया बंटवाड़ा कानूनी बिन्दु के पूर्ण निस्तारण नहीं होने से, एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने व मौके पर भैतिक कब्जा काश्त के अनुसार न होने से उक्त आलोच्य अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 2, 3, 4, 5, 8 व 26 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं प्रस्तुत अपील खारीज प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि उभयपक्षारान के की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा 84, 85, 88, 173 मौजा धने की ढाणी व खसरा संख्या 63, 11, 113 मौजा गोसाई नगर में अवस्थित है। समस्त पक्षकारान दिनांक 09.06.2016 को आपसी सहमति से राजस्व लोक अदालत आपके द्वार कैंप में उक्त आलोच्य विभाजन आदेश पारित करवाया गया है। अपीलांटगण पढ़े लिखे है, विभाजन प्रस्ताव दौरान अपीलांट संख्या 4 डालूराम सरपंच पद पर था तथा सहमति हेतु खरोदे गये स्टाम्प पर भी अपीलांट संख्या 4 डालूराम के नाम से खरीद कि गया है, जिससे स्पष्ट है कि समस्त पक्षकारान ने आपसी सहमति देकर उक्त आलोच्य विभाजन करवाया गया है। उक्त विचाराधीन अपील में अपीलांट की संख्या 5 है, जबकि अपील दावा पर केवल अपीलांट संख्या 1 के ही हस्ताक्षर है तथा दीगर चारो अपीलांगण के हस्ताक्षर नहीं है और न ही रेस्पोडेंटगण में पक्षकरार बनाया है। अगर अपीलांट को अंधेरे में रखकर आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव पारित किया गया होता तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाती। किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झूठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा धने की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 84, 85, 88, 173 रकबा 00.07, 21.14, 28.15, 51.11 बीघा व मौजा गोसाई नगर, पटवार मण्डल कमठाई के खसरा संख्या 63, 111, 113 रकबा 88.16, 32.12, 64.03 के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 में उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/लो.अ/2016/462 दिनांक 09.06.2016 पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की मुख्य आपति है कि मौजा धने की ढाणी के खसरा संख्या 84, 85, 88 में अपीलांट को किसी प्रकार से हिस्सा नहीं दिया है, जबकि उक्त खसरे में अपीलांट का रहवासी मकान व कब्जा काश्त है तथा मौजा गोसाई नगर के खसरा संख्या 63 को सभी पक्षकारान को रास्ता की सुविधा नही देकर रास्ते से वंचित किया गया है, जबकि मौके पर रास्ता चलता है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई मौका रिपोर्ट में मौजा धन्ने की ढाणी के मूल खसरा नंबर 84, 85, 88 में अपीलांट की कोई ढाणी, कब्जा, टांका नहीं बना हुआ है तथा मौजा गोसाई नगर के मूल खसरा नंबर 63, 111, से विभक्त हुए समस्त खसरे में कटाण रास्ते की सुविधा दी गई है। इस रास्ते संबंधी कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड तरमीम व मौका कब्जा काश्त में भिन्नता नही होना बताया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मानचित्र में भी खसरा संख्या 63 व 111 के समस्त पक्षकारान को रास्ते की सुविधा होना बताया गया। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तसहीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश आदेश क्रमांक/लो.अ./2016/462 दिनांक 09.06.2016 को बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा